2426

/ वाणिज्य कर

( चेक पोस्ट अनुभाग) लखनऊ:: दिनांक:: 19, फरवरी , 2008

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0/प्र0/अपील/उ0न्या0कार्य/सर्वो0न्या0कार्य) डिप्टी कमिश्नर /असिस्टेन्ट कमिश्नर / चेक पोस्ट. सचलदल, वि0अनु0शा0,कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ0प्र0

Key word 1-13-Administrative / Genral Direction

## विषय:- माल वाहनों की ओवर लोडिंग को रोकने के संबंध में।

वाणिज्य कर अधिकारी, 30प्र0।

शासन के पत्र सं0 2637 /11-2-2007-9(287)/07 दि0 23.01.2008 द्वारा प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त विषयक पत्रसंख्या- 2337 / 30-4-2007-172/89 दिनांक 31-10-2007 को संलग्न करते हुये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद संख्या 136 / 2003 परमजीत भसीन व अन्य बनाम यूनियन आफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-11-2005 में निर्देशित किया गया है कि ट्रान्सपोर्ट इंवलपमेंन्ट कौन्सिल के निम्न निर्णय लागू किए जाए:-

"(i)-Strict enforcement of the provisions relating to overloading under the Motor Vehicles Act, 1988 and Central Motor Rules, 1989.

(ii)The State Government are not to issue special cards/passes which legalize overloading ."

"It is indisputable that the power of compounding vests with the State Government, but the notification issued in that regard cannot authorize continuation of the offence which is permitted to be compounded by payments of the amounts fixed . If permitted to be continued, it would amount to fresh commission of the offence for which the compunding was done . The State Governments which have not yet withdrawn the notifications shall do it forthwith . So for as the practical difficulties highlighted are concerned, it is for the State Governments concerned to make necessary arrangements to ensure that the diffculties highlighted can be suitably remedied by the State Government themselves without in any way overstepping statutory prescriptions ."

- 2- माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के पश्चात् उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उच्चतमन्यायालय के निर्णय के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक अवमानना याचिका सं0 13/2007 " ट्रक आपरेटर वेल्फेयर एसोसिएशन आनूपुर, कानपुर नगर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव व अन्य " दायर की गयी जिसकी सुनवाई वर्तमान में चल रही है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि:-
  - " The learned standing counsel prays for and is allowed three weekstime to file a counter affidavit and bring on the record the steps taken by the State . If goes without saying that Apex Court having already directed the State Governments, the State Governments is to act according to the direction of the Apex Court."
- 3- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में मा0 उच्च न्यायालय को शासन की ओर से प्रगति अवगत करानी है कि शासन ने ओंवरलोडिंग रोकने के संबंध में क्या निर्णय लिया है।
- 4-शासन के पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक विभाग में जहां माल का परिवहन कराया जाता है वहां पर कभी कभी विभागीय अधिकारियों के स्तर से प्रति ट्रक जो माल परिवहन हेतु लिखित तौर पर स्वीकृत / अधिकृत किया जाता है, उसकी मात्रा ट्रक की क्षमता से अधिक होती है। शासन ने इसे रोकने के संबंध में निर्देश प्रसारित करने की अपेक्षा की है।
- 5- ट्रकों की भार क्षमता के विषय में परिवहन आयुक्त ने अवगत कराया है कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस.ओ.728 (ई), दिनांक 18-10-1996 में माल वाहनों के संबंध में अधिकतम सकलयान भार अनुमन्य किए गए है जिसमें दी गयी व्यवस्था ही "Maximum Safe Axle Weight" को परिभाषित करती है और इसका अनुपालन अनिवार्य है प्रसूच

सुविधा हेतु परिवहन आयुक्त ने इंगित किया है कि वाहन ट्रक का भार अलग करते हुए जो माल परिवहन हेतु अनुमोदित किया जा सकता है, वह लगभग निम्नवत् है:-

(क) 4 टायर के ट्रक पर माल का अधिकतम भार (वाहन के भार को सम्मिलित न करते हुए) 7 टन

(ख) 6 टायर के ट्रक पर माल का अधिकतम भार (वाहन के भार को सम्मिलित न करते हुए) 10 टन

(ग) 10 टायर के ट्रक पर माल का अधिकतम भार (वाहन के भार को सम्मिलित न करते हुए)16 टन

(घ) 12 टायर के ट्रक पर माल का अधिकतम भार (वाहन के भार को सम्मिलित न करते हुए) 20 टन जहां पर ट्रक टेलर प्रयोग किये जा रहें हैं,वहां ट्रक वाहन के स्वामी से ट्रक की क्षमता ज्ञात किया जाना

अपेक्षित है , क्योंकि इस श्रेणी के कई मानक हैं।

4- शासन के उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि माल वाहनों की जॉच के समय ओवर लोडिंग को रोकने के संबंध में शासन के उपर्युक्त पत्र में वर्णित व्यवस्था के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए।

( सुनील कुमार ) कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

## पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन (अनुभाग-2),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ
- 2- प्रमुख सचिव , परिवहन (अनुभाग-4),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्रसंख्या 2337 / 30-4-2007-172/89 दिनांक 31-10-2007 के संदर्भ में ।
- 3- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।
- 4- समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
- 5- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
- 6- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 7- चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियाँ

(जगमोहन लाल शर्मा) ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे0 पो 0) वाणिज्य कर,